रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 1991/कार्तिक 10, 1913
No. 644] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 1991/KARTIKA 10, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1991

का.आ. 748(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या-का.आ. 247, तारीख 30 दिसंबर, 1975 जो भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii), तारीख 17 जनवरी, 1976 में प्रकाशित की गई थी, के साथ पठित बक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-64, की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब वक्फ बोर्ड के अतिष्ठित रहने की अवधि को जो भारत सरकार के तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्या

का.आ. 796(अ), तारीख 11 नवंबर, 1981, संख्या-का.आ. 68(अ), तारीख 9 फरवरी, 1982 और संख्या-का.आ. 105(अ), तारीख 9 फरवरी, 1983 संख्या-का.आ. 64(अ), तारीख 2 फरवरी, 1984 और संख्या-का. आ. 95(अ), तारीख 5 फरवरी, 1985 तथा भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-का.आ. 198 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 1986 संख्या-का.आ. 386(अ), तारीख 14 अप्रैल, 1987, संख्या-का.आ. 782(अ), तारीख 19 अगस्त, 1987, संख्या-का.आ. 213(अ), तारीख 26 फरवरी, 1988, संख्या-का.आ. 813(अ), तारीख 29 अगस्त, 1988, संख्या-का.आ. 286(अ), तारीख 19 अप्रैल, 1989, संख्या-का.आ. 274(अ), तारीख 30 मार्च, 1990 और का.आ. 304(अ), तारीख 30 अप्रैल, 1991 में विनिर्दिष्ट है, एक नवंबर, 1991 से 31 अक्तूबर, 1992 तक की और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[संख्या-4(1)/90-वक्फ]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में,

एम. एस. पंडित,

संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 1991

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 64 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954) (hereinafter referred to as the said Act) read with notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 247 dated the 30th December, 1975 published in the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 17th January, 1976, the Central Government hereby extends the period of supersession of the Punjab Wakf Board, spceified in the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 796(E) dated the 11th November, 1981, No. S.O. 68(E) dated the 9th February, 1982 No. S.O. 105(E) dated 9th February, 1983, No. S.O. 64(E) dated the 2nd February, 1984 and No. S.O. 95(E) dated the 5th February, 1985 and the notifications of the Government of India in the Ministry of Welfare No. S.O. 198(E) dated the 17th April, 1986, No. S.O. 386(E) dated the 14th April, 1987, No. S.O. 782(E) dated the 19th August, 1987, No. S.O. 213(E) dated the 26th February, 1988, No. S.O. 813(E) dated 29th August, 1988, No. S.O. 286(E) dated the 19th April, 1989, No. S.O. 274(E) dated the 30th March, 1990, and No. S.O. 304(E) dated the 30th April, 1991 by a further period on and from the 1st day of November, 1991 to the 31st day of October, 1992.

[No. 4(1)|90-Wakf]

By Order and in the name of the President of India,

M. S. PANDIT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110054. 1991